



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं०. 0522-2286643

☎ नं०. 0522-2287701

पत्र सं०: 742 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2010-31-मा०सं०प्र०-02/2005

दिनांक : 19 अप्रैल, 2011

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पैरामेडिकल/नर्सिंग स्टाफ को दिनांक 01.01.1996 से अनुमन्य वेतनमानों में वेतन विसंगति को समाप्त करने के दृष्टिगत निगम के पैरामेडिकल/नर्सिंग स्टाफ के निम्न पदों के वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से उच्चीकृत किये जाते हैं :-

क्र० सं०	पदनाम	वर्ष 01.01.1996 से अनुमन्य वेतनमान	वर्ष 01.01.1996 से स्वीकृत उच्चीकृत वेतनमान	उच्चीकृत वेतनमान के सापेक्ष वर्ष 01.01.2006 से लागू छठा वेतनमान (पे-बैंड+ग्रेड-पे)
1	2	3	4	5
1	एक्स-रे टेक्नीशियन	4200-6400	4500-7500	5200-20200+3000
2	स्टाफ नर्स	4200-6400	5300-8600	9300-34800+4200
3	फार्मासिस्ट	4200-6400	4500-7500	5200-20200+3000
4	ओ०टी० टेक्नीशियन	4200-6400	4500-7500	5200-20200+3000

2- उपरोक्त पदों पर दिनांक 01.01.1996 से केवल वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा एवं आदेश निर्गतन की तिथि से वेतन निर्धारण के अनुसार भुगतान किया जायेगा तथा उसके पूर्व किसी प्रकार के एरियर/अवशेष देय नहीं होगा। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्व परिषदादेश सं०: 251-वे०प्र०-30/राविप, दिनांक 6.08.1998 में निर्धारित वेतन निर्धारण प्रक्रिया के प्राविधानान्तर्गत होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

PM-3

~~PM-3~~  
~~PM-3~~  
25/4


सं०: 742 -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2011, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।

क्रमशः .....2

- (4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (5) मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/11), परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन/मा०सं०/ईंधन/सुरक्षा एवं पर्यावरण/जानपद/वाणिज्य/आर०एण्डएम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को दिनांक 30.03.2011 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 145वीं बैठक के एजेण्डा आइटम-22 के सन्दर्भ में।
- (8) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/चिकित्सा/रिफार्म/प्रशिक्षण/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
- (10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) अधिशासी अभियन्ता, मा०सं०-03/अनुशासनिक कार्यवाही/उप सचिव(मा०सं०-01/06)/वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रशासन)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/पेंशन/अनुसचिव(मा०सं०-02/04)/समस्त अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) कट फाइल ।

आज्ञा से,  
  
19/4/11  
(सतीश चन्द्र खरे)  
उप सचिव